उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग–2
संख्या–51 / 2019 / एस–2–2680 / दस–2019–128 / 2015
लखनऊ : दिनांक :: 14 नवम्बर, 2019

विज्ञप्ति / नियुक्ति

शासन की विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या–46 / 2019 / एस–2–2525 / दस–2019–128 / 2015, दिनांक 17–10–2019 के द्वारा सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2016 के चयन के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत 09 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड–3 रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 / – (लेविल–10) में कोषाधिकारी / लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त विज्ञप्ति / नियुक्ति के आदेश दिनांक 17–10–2019 में अंकित तालिका के क्रमांक–9 पर अंकित श्री अंशुल मौर्य के पिता का नाम त्रुटिवश श्री रमेश चन्द्र मौर्य के स्थान पर ''श्री राम आसरे मौर्य'' अंकित हो गया है। अतः श्री अंशुल मौर्य के पिता का नाम ''श्री राम आसरे मौर्य'' के स्थान पर ''श्री रमेश चन्द्र मौर्य'' पढ़ा जाय।

3– विज्ञप्ति / नियुक्ति दिनांक 17–10–2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अंश यथावत रहेगा।

प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव।

संख्या–51 / 2019 / एस–2–2680(1) / दस–2019–128 / 2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– संयुक्त सचिव, कार्मिक अनुभाग–4 को उनके पत्र संख्या–आ–219 / का–4–2019, दिनांक 3–5–2019 के सन्दर्भ में ।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4– निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ
6– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
7– अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
9– अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु ।
10– श्री अंशुल मौर्य पुत्र श्री रमेश चन्द्र मौर्य, ग्राम–मैनीपुर, पोस्ट–सदर, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0–222001
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।